

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 107/2019

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लि०  
शाखा कार्यालय:- सी-1 प्रथम मंजिल, आनासागर, सर्कुलर रोड, वैशाली नगर,  
अजमेर (राज०)-305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी .....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर  
बनाम

- (1). श्रीमती मधु मुकेश पत्नी श्री मुकेशराम  
पता -रेलवे बंगला 466 ए, ब्यावर रोड,  
जिला अजमेर (राज.)-305001  
दुसरा पता - एएमसी नं. 1146/13, नामदेव कॉलोनी, सुन्दर नगर, एचएमटी के  
सामने, ब्यावर रोड, जिला अजमेर (राज.)-305001
- (2). श्री मुकेश राम पुत्र श्री चेतनराम  
पता - रेलवे बंगला 466 ए, ब्यावर रोड,  
जिला अजमेर (राज.)-305001

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन  
आफ फाईनेनशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

श्री मनदीप सिंह चौहान

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्रीमती मधु मुकेश पत्नी श्री मुकेशराम व श्री मुकेश राम पुत्र श्री चेतनराम निवासी- 509 रेलवे बंगला 466 ए, ब्यावर रोड, जिला अजमेर (राज.)-305001 को दिनांक 30.04.2014 को रु 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर एएमसी नं. 1146/13, नामदेव कॉलोनी सुन्दर नगर, एचएमटी के सामने ब्यावर रोड, अजमेर (राज.) स्थित सम्पत्ति, क्षेत्रफल 105 वर्गगज, जो श्रीमती मधु मुकेश पत्नी श्री मुकेशराम के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं - पूर्व -आम रास्ता, पश्चिम -एएमसी नं. 1146/13 का शेष भाग, उत्तर -अन्य सम्पत्ति, दक्षिण -एएमसी नं. 1146/13 का शेष भाग है को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 15.08.2016 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 19.08.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये-8,18,805/- (अक्षरे आठ लाख अठारह हजार आठ सौ पांच रुपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत



*[Signature]*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर


उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक एएमसी नं. 1146/13, नामदेव कॉलोनी सुन्दर नगर, एचएमटी के सामने ब्यावर रोड, अजमेर (राज.) स्थित सम्पति, क्षेत्रफल 105 वर्गगज, जो श्रीमती मधु मुकेश पत्नी श्री मुकेशराम के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं - पूर्व -आम रास्ता, पश्चिम -एएमसी नं. 1146/13 का शेष भाग, उत्तर -अन्य सम्पत्ति, दक्षिण -एएमसी नं. 1146/13 का शेष भाग है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को सुनाया गया।



  
( विश्व मोहन शर्मा )  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर